तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	रेफरेन्स/एल.आर./2004/2421/पाली **सरकार बनाम श्रीमती गीता**	
30.9.2019	**एकलपीठ** **श्री हरिशंकर गोयल सदस्य** **उपस्थित–** श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** 1– यह रेफरेन्स जिला कलेक्टर, पाली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 28–2–2004 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, पाली द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खोड तहसील पाली के भूमि एकीकरण संवत 2019 खाता संख्या–494 खसरा नम्बर–449, 452, 668/1, 709, 866, 868 कुल 6 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 107 बीघा 10 बिस्वा भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज बएतमाम पुजारी सीताराम, श्रीराम पुत्रगण राधाकृष्ण ब्राहमण के नाम दर्ज थी। उक्त मन्दिर की भूमि बिना किसी आदेश या नामान्तरकरण के सीधे ही वैध तरीके से मन्दिर का नाम हटाकर पुजारी के नाम खातेदार दर्ज कर दी गई। पुजारी के द्वारा मन्दिर की भूमि को आगे से आगे बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या–80 व 1221 है जो अवैध रूप से स्वीकृत कर दिया गया जिससे वह निरस्त होने योग्य है। उक्त भूमि वास्तव में डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज की थी। मन्दिर मूर्ति माफी को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2004/2421/पाली** **सरकार बनाम श्रीमती गीता**	
	शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिये माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता। अप्रार्थीगण किस प्रकार खातेदार बने इसका कोई सक्षम आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। बिना न्यायालय अथवा सक्षम आदेश के उक्त खातेदारी इंद्राज प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य हैं। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त करते हुए विवादित भूमि को डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज के खाते में दर्ज किया जावे। 3– बहस उभयपक्ष दिनांक 4–9–2019 को सुनी गयी। 4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज की है। मन्दिर मूर्ति माफी शाश्वत नाबालिग है, इसलिये विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 (1)(a) के अनुसार किसी भी स्थिति में हस्तान्तरित नहीं हो सकते हैं। किन्तु माफी मन्दिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को पुजारी होने के कारण प्रदान कर दिए गए हैं जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है जिसके आधार पर विवादग्रस्त आराजी के संबंध में सम्वत् 2023 जमाबन्दी में अंकित हो रहे इन्द्राजात के तत्पश्चात् अप्रार्थी, उसके वारिसान का नाम खातेदारी से विलोपित कर विवादित भूमि को पुनः डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें। 5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि विवादित भूमि माफी की है व जागीदारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./2004/2421/पाली** **सरकार बनाम श्रीमती गीता**	
	उन्मूलन अधिनियम, 1952 के लागू होने से प्रार्थीगण के पूर्वजों का नाम काश्तकार वाले कॉलम में अंकित होने से उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और तभी से वे काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि का मन्दिर से कोई वास्ता नहीं है। अतः रेफरेन्स गलत प्रस्तुत होने से खारिज होने योग्य है। 6– हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खोड तहसील पाली के भूमि एकीकरण संवत 2019 खाता संख्या–494 खसरा नम्बर–449, 452, 668/1, 709, 866, 868 कुल 6 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 107 बीघा 10 बिस्वा भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज बएतमाम पुजारी सीताराम, श्रीराम पुत्रगण राधाकृष्ण ब्राहमण के नाम दर्ज थी। उक्त मन्दिर की भूमि बिना किसी आदेश या नामान्तरकरण के सीधे ही वैध तरीके से मन्दिर का नाम हटाकर पुजारी के नाम खातेदार दर्ज कर दी गई। पुजारी के द्वारा मन्दिर की भूमि को आगे से आगे बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या–80 व 1221 है जो अवैध रूप से स्वीकृत कर दिया गया जिससे वह निरस्त होने योग्य है। उक्त भूमि वास्तव में डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज की थी। मन्दिर मूर्ति माफी को शाश्वत नाबालिग माना गया है इसलिये माफी मन्दिर मूर्ति द्वारा धारित भूमि का अंकन अन्य किसी व्यक्ति/संस्था के नाम नहीं हो सकता। अप्रार्थीगण किस प्रकार खातेदार बने इसका कोई सक्षम आदेश पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2004/2421/पाली</u>** **सरकार बनाम श्रीमती गीता**	
	मन्दिर माफी की भूमि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों में नहीं आ सकती है यह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 (1)(a) तहत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है। यदि किसी भी कारण से भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज के स्थान पर किसी काश्तकार अथवा अन्य व्यक्ति की खातेदारी में आ भी गई है तो वे खातेदारी अधिकार प्रभाव शून्य है। डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज शाश्वत अवयस्क है और स्वयं काश्त नहीं कर सकते है। ऐसे में अप्रार्थीगण काश्तकार होने के आधार पर खातेदार नहीं बन सकते है। 8– RRD 2015 Page 556 पर माननीय उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच ने निर्णय दिया है कि मंदिर माफी की भूमि सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी खातेदारी में नहीं दी जा सकती है। चूंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है और मंदिर माफी की भूमि को बेचान या अन्य किसी आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में भी विवादित भूमि सम्वत् 2023 तक डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज के नाम खुदकाश्त अंकित थी जिसे बाद में अप्रार्थी की खतेदारी में दे दिया गया जो कि अवैध व प्रभाव शून्य है। 9– अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर–668/1 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर–452 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर–709 रकबा 49 बीघा 7 बिस्वा में से 14 बीघा 5 बिस्वा कुल 27 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम खोड तहसील पाली को पुनः डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./2004/2421/पाली</u>** **सरकार बनाम श्रीमती गीता**	
	के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते है। अप्रार्थीगण के खाते से उक्त भूमि एवं नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर इस पर डोली बनाम मन्दिर श्री जगमोहनजी महाराज की खातेदारी अंकित की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरिशंकर गोयल)** **सदस्य**	